संख्याः 1295 /38–7–2009– NREGA/2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

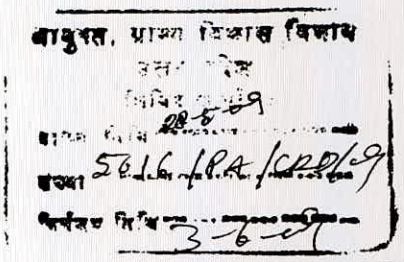

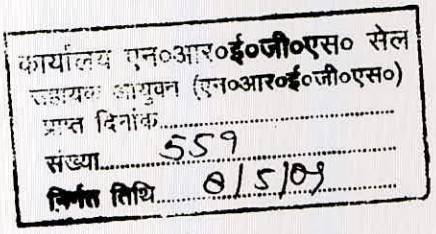

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **आयुक्त**, ग्राम्य विकास उ0प्र0,
   जवाहर भवन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

दिनांकःलखनऊः 25 मई, 2009

विषयः **वर्ष 2009–10 में नरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (नरेगा) के अर्न्तगत रू0 7,500 करोड़ का कार्य सम्पन्न होना है। नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नरेगा के कार्यो में पर्याप्त गति नहीं आ सकी। अतः यह आवश्यक है कि माह अप्रैल/मई के लिए निर्धारित लेबर बजट को इस प्रकार से आगामी महीनों के लक्ष्य में समायोजित कर लिया जाये कि जुलाई के अंत तक समानुपातिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009–10 के लिए नरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक उपलब्धि हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना निर्धारित की जाती हैः–

(1) रु0 7500 करोड़ के वास्तविक कार्य समपन्न करने हेतु कम से कम रू0 10,000 करोड़ के कार्यो का शेल्फ तैयार कर लिया जाये।

(2) कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए आगणन बनाये जाने का कार्य 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाये। यदि आगणन बनाने के लिए स्थानीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं यथा–पालीटेक्नीक/इंजिनियरिंग कालेजों का सहयोग लेने की आवश्यकता हो तो इनका भी प्रयोग किया जाये।

(3) शासनादेश संख्या–175/38–7–2009–377/नरेगा दिनांक 21 जनवरी 2009 में दिये गये निर्देशानुसार हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक आदर्श जलाशय का कार्य को 01 जून से प्रारम्भ कर दिया जाये। इसकी समीक्षा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रत्येक माह अलग से की जायेगी तथा शीर्षस्थ स्तर पर परफारमिंग एवं नान–परफारमिंग जिलों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) पूर्व वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्य सतत रूप से कराये जाने की रणनीति को बदल के वर्ष 2009–10 में प्रत्येक राजस्व ग्राम में कम से कम एक कार्य सतत रूप से चलाये जाने की रणनीति को अपनाया जायेगा।

(5) समस्त गरीब परिवारों, समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सभी इंदिरा आवास लाभार्थी तथा समस्त भूमि सुधार लाभार्थियों के खेतों पर व्यक्तिगत कार्य कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ताकि इन वर्गों के लाभार्थियों को दीर्घकालीन आजीविका के साधन उपलब्ध हो सकें।

(6) क्रमांक–5 में उल्लिखित वर्गों के लिए बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम , पालन, भूमि विकास के कार्यों को बड़े पैमाने पर लिया जाये। इसके लिए निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं :–

(क) बागवानी के तहत 01 लाख हेक्टेयर भूमि पर फलों, सब्जियों, फूलों तथा आलू की खेती को आच्छादित किया जाये। प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 125 हेक्टेयर भूमि पर न.ा से बागवानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) उक्त श्रेणी के लाभार्थियों हेतु प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 25 तालाबों में मत्स्य पालन के तालाब स्थापित कराये जायें।

(ग) उपरोकत श्रेणी के लाभार्थियों की 2700 हेक्टेयर भूमि पर रेशम पालन का कार्य कराया जायेगा। यह कार्य 38 जनपदों में किया जायेगा जिसके विकास खण्डवार लक्ष्य विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

(घ) 50,000 हेक्टेयर भूमि पर भूमि विकास का कार्य कराया जाये। यह कार्य विशेष रूप से पट्टेदारों की भूमि पर कराया जाये।

(ड) सम्पूर्ण प्रदेश में 1,00,000 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाये। इनमें से 30,000 बुन्देलखंड में तथा शेष 70,000 प्रदेश के अन्य भागों में निर्मित किए जायें।

(7) बुन्देलखंड में वृहद वृक्षारोपड़ के लक्ष्यों का निर्धारण शासनादेश संख्या–212/14–5–2009–15(4)/09 दिनांक 27 फरवरी 2009 के माध्यम से किया जा चुका है तथा उसमें डबटेलिंग करते हुए नरेगा के संसाधनों का प्रयोग किया जाना होगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिन जनपदों में यह कार्य किया जाना है वहॉ अनिवार्य रूप से माह जून में गढ्ढों की खुदाई व सिचांई के साधनों हेतु समय से वेलों का निर्माण करा ले। वर्ष 2008–09 में भी कराये गये बृहद वृक्षारोपण के रखरखाव का कार्य समयबद्ध तरीके से नरेगा से कराया जाये।

(8) सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की खुदाई की डबटेलिंग नरेगा से कराई जाये तथा वांछित धनराशि समयान्तर्गत विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

(9) वर्षा ऋतु आने से पूर्व आवश्यकतानुसार पुराने तालाबों व कुओं की सफाई तथा डि–सिल्टिंग का कार्य करा लिया जाये।

(10) हर गॉव में स्थापित इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों कम से कम 05 में सोक पिट का निर्माण करा लिया जाये। जल निगम द्वारा 15 जून तक सभी गॉवों में एक आदर्श सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया जायेगा जिसके पैटर्न पर नरेगा व टोटल सेनिटेशन प्रोग्राम के माध्यम से इन सोक पिट का निर्माण कराया जाये। इससे न केवल जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध हो जायेगा बल्कि वाटर रि–चार्जिंग के साथ गॉवों में पानी के अनावश्यक फैलने से होने वाली गंदगी से मुक्ति मिल सकेगी। जल निगम द्वारा इन सेप्टिक टैंकों का माडल जनपदों को परिचालित कर दिया गया है। यह अपेक्षा है कि यह माडल सभी विकास खण्डों को भी उपलब्ध करा दिया जायें जो उन्हें ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं तथा ग्राम प्रधानों को प्रसारित कर दें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समस्त योजनाओं का स्थानीय तौर पर नियमानुसार अनुमोदन ग्राम पंचायत, विकास खण्ड तथा जिला पंचायत से कराया जायेगा तथा नरेगा के समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन विभागों से सम्बंधित कार्य नरेगा के अर्न्तगत लिये जायेगे वे भी अपने फील्ड स्तरीय अधिकारियों को यथोचित निर्देश दिनांक 31.05.2009 तक जारी करेंगे व उनकी उपलब्धियों की समीक्षा अपने स्तर से करेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1295 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) प्रबन्धक निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।